

15.01.2026

पत्रावली पेश हुई।


प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 13 के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तामील होने के बावजूद अनुपस्थित।

अतः विप्रार्थी संख्या 1 से 12 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा जैसिन्धर गांव, पटवार मण्डल— जैसिन्धर गांव, तह0 गडरारोड़ जिसके खाता संख्या नया 152, पुराना खाता संख्या 118 एवं खसरा नम्बर 1608 कुल रकबा 8.1099 हैक्टेयर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर तथा लैण्ड रेकार्ड्स रूल्य, 1957 के नियम 34 (3) की प्रक्रिया अपनाते हुये भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुये नेखमबंदी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक जैसिन्धर स्टेशन को 500/-रु शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। आवश्यकता होने पर एस.एच.ओ. गडरारोड़ से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। भू-अभिलेख निरीक्षक जैसिन्धर स्टेशन वाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़ जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार - I

राजस्व आवेदन संख्या :- 89/2025

क्रमांक/आवेदन/2026/379


दिनांक-23/01/2026

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मुरारसिंह पुत्र भूरसिंह, जाति- राजपूत, नि0 भियाड तह0 शिव जिला बाड़मेर वगैरा (3)		1. नैन कंवर पत्नी चन्दनसिंह, जाति-राजपूत, नि0 सिलासन तह0 राणीवाडा जिला जालोर वगैरा (13)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर प्रार्थीगण को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू-अभिलेख निरीक्षक जैसिन्धर स्टेशन को प्रार्थीगण की मौजा जैसिन्धर गांव, पटवार मण्डल- जैसिन्धर गांव, तह0 गडरारोड़ जिसके खाता संख्या नया 152, पुराना खाता संख्या 118 एवं खसरा नम्बर 1608 कुल रकबा 8.1099 हैक्टैयर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर तथा लैण्ड रेकार्डस रूल्स, 1957 के नियम 34 (3) की प्रक्रिया अपनाते हुये भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस मे भिजवाने हेतु 500/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। इस हेतु आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। निरीक्षक भू- अभिलेख बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें।


उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़

क्रमांक/आवेदन/2026/380-85

दिनांक-23/01/2026

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार गडरारोड़ को सूचनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक जैसिन्धर स्टेशन को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी जैसिन्धर गांव को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक जैसिन्धर स्टेशन द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना गडरारोड़ को पालनार्थ।
5. प्रार्थीगण मुरारसिंह पुत्र भूरसिंह वगैरा (3) को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण नैन कंवर पत्नी चन्दनसिंह वगैरा (13) को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़